न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/13/2020	2020/00056	18–08–2020	19–04–2022

1. राजेश सैनी पुत्र स्व0 श्री रामधन जाति माली निवासी ग्राम नीलगर की कोठी राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. पप्पू पुत्र स्व0 मतुल राम जाति माली ।
2. मोहन पुत्र स्व0 मतुल राम जाति माली।
3. सुरेश पुत्र स्व0 मतुल राम जाति माली।
4. मुकेश पुत्र स्व0 मतुल राम जाति माली निवासीगण नीलगर की कोठी राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 08.10.2004 नामान्तकरण संख्या 572 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ।

उपस्थितः–

01. श्री सुभाष चन्द सैनी —वकील अपीलाण्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 08.10.2004 नामान्तकरण संख्या 572 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाबजूद नोटिस तामील रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित रहे। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन

19/04/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

किया है कि अपीलान्ट का पिता रामधन पुत्र छोटू माली निवासी नीलगर की कोठी तन कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर खाता संख्या 423 आराजी खसरा न0 1054/0.18 व आराजी खाता संख्या 410 खसरा न0 1054/0.18 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ का काबिज खातेदार काश्तकार था। मृतक रामधन अपने जीवनकाल तक उक्त आराजी सालिम पर काबिज होकर काश्त करता रहा है। अपीलान्ट के पिता रामधन की मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट ने अपने पिता रामधन की उक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु आवेदन किया। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 572 दर्ज किया गया। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा मृतक रामधन के वारिसान का शजरा भी दर्ज किया गया है। मुताबिक शजरा मृतक रामधन की आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा होता है। उसी के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 572 के खाता न0 9 में राजेश पुत्र रामधन व पप्पू, मोहन, सुरेश एवं मुकेश पुत्र मतूल राम व कमला बेवा मतुल राम जाति माली व. हिस्सा बराबर सा0 नीलनगर की कोठी तन कारोठ राजगढ अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा होना प्रतीत होता है। उसी के अनुसार हाल जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट का उक्त आराजी में मुताबिक शजरा व नोसनल हिस्सा मुताबिक 1/2 हिस्सा होता है। लेकिन जैसा पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया है। उसी के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 572 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ का निर्णय 08.10.2004 को पारित किया गया है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक जुडिशियल कार्यवाही है। जिसमें कानून का ध्यान रखा जाना आवश्यक है लेकिन जैसा कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया है व नामान्तकरण की पुश्त पर मृतक रामधन के वारिसान का शजरा दर्ज किया है के अनुसार अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 बनता है। लेकिन पटवारी हल्का ने मुताबिक शजरा के खाना न0 9 में जो प्रविष्टिया दर्ज की गयी है, में अपीलान्ट का हिस्सा अंकित नही किया गया है। रैस्पोडेन्ट जो की अपीलान्ट के भाई मृतक मतुल राम के वारिसान है जिनका मृतक रामधन की विवादित आराजी में पांचो का 1/2 हिस्सा होता है। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का मृतक रामधन की आराजी में हिस्सा निकालने में अहम कानूनी गलती की है और पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट को समान भाग का खातेदार दर्ज करने की गलती की है।

नामान्तकरण संख्या 572 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2004 को पारित किया गया है। पारित निर्णय की अपील एक माह की अवधि में दिनांक 07.11.2004 तक पेश की जानी चाहिऐ थी लेकिन मिन अपीलान्ट को उक्त त्रुटि का इल्म दिनाक 22.07.2020 को हुआ जिस पर नकल आवेदन पेश कर नामान्तकरण की नकल दिनांक 27.07.2020 को प्राप्त हुई जिससे अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश की है, साथ ही देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने के कारण अपील पेश करने में देरी हुई है जो लाइल्मी के कारण हुई है। जिसे माफ किये जाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत पृथक से पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर मुताबिक शजरा के अपीलान्ट राजेश पुत्र रामधन 1/2 हिस्सा पप्पू, मोहन, सुरेश एवं मुकेश पि0 मतुलराम कमला वेवा मतुल राम 1/2 हिस्सा सा0 नीलगर की कोठी तहसील राजगढ

19/04/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

खातेदार दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार राजगढ को रिमाण्ड किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस पर चिन्तन–मनन किया। मुताबिक शजरा मृतक रामधन की आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा होता है। उसी के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 572 के खाना न0 9 में राजेश पुत्र रामधन व पप्पू, मोहन, सुरेश, मुकेश पु0 मतूल राम व कमला बेवा मतुल राम जाति माली ब. हिस्सा बराबर सा0 नीलनगर की कोठी तन कारोठ राजगढ अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा दर्ज किया गया। उसी के अनुसार हाल जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का उक्त आराजी में मुताबिक शजरा व नोसनल हिस्सा मुताबिक 1/2 हिस्सा होता है। लेकिन जैसा पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया है, उसी के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 572 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ का निर्णय 08.10.2004 को पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2004 नामान्तकरण संख्या 572 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 572 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ निर्णय दिनांक 08.10.2004 में वर्णित शजरा के अनुसार हिस्से के बाबत अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/04/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)